नागरिक अधिकार पत्र

परिचयात्मक टिप्पणी

जनता की यातायात आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये सुविधाजनक बस सुविधायें उपलब्ध करवाने के लिये सड़क परिवहन अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में 01 अक्टूबर, 1964 को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना की गई। निगम की स्थापना के समय 8 आगारो के माध्यम से राजस्थान के 70 मार्गो पर 421 बसो द्वारा लगभग 45 हजार कि.मी. का संचालन किया जाता था। तथा लगभग 29000 यात्रियो को यातायात सुविधा प्रदान की जा रही थी। वर्तमान में राजस्थान रोडवेज के 48 आगारो द्वारा 3464 बसों का संचालन किया जा रहा है। और लगभग 7.16 लाख यात्रियो को बस सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

निगम का प्रमुख उद्देश्य जनता को नियमित, समयबद्ध एवं सुविधापूर्ण सेवा उपलब्ध कराना है, जिसे पूरा करने में निगम काफी हद तक सफल रहा है, सेवाओ की गुणत्मकता के क्षेत्र में निगम ने दिन प्रतिदिन प्रगति की है। इसी कडी में निगम ऐसे मार्गो पर भी संचालन कर रहा है जो लाभदायी नही है, राज्य के महत्वपूर्ण स्थानो पर निगम के अपने बस स्टेण्ड है जिन पर सभी यात्री सुविधाये यथा शौचालय, शीतल पेयजल, जलपान गृह, कुर्सियां, यात्री शेड इत्यादि उपलब्ध कराई गई है।

निगम सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति भी पूर्ण रूप से सजग है। पत्रकार, नैत्रहीन मय एक सहयोगी, स्वतन्त्रता सेनानी एवं उनकी विधवाये मय एक सहयोगी, अनुसूचित जाति एवं आदिवासी क्षेत्र की कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत बालिकायें, युद्ध में मृतक सैनिको की विधवायें एवं उन पर आश्रित अवयस्क संताने एवं मानसिक विमन्दित व्यक्तियों का निगम द्वारा निःशुल्क यात्रा सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही है। जबकि श्रवण बाधित, विकलांग, कैंसर रोगी, कुष्ठ रोगी तथा थैलिसिमिया रोगी एड्स रोगी को यात्रा पर 75 प्रतिशत रियायत उपलब्ध है। विधार्थी तथा मानसिक विमन्दित के सहयोगी को यात्रा पर 50 प्रतिशत की रियायत उपलब्ध करायी हुई है। महिलाओ द्वारा समूह में (न्यूनतम 5 महिलाएं) यात्रा करने पर किराये में 25 प्रतिशत की छूट, 65 वर्ष व उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिको को 30 प्रतिशत की छूट, आदिवासी क्षेत्रो में संचालित साधारण वाहनो में आदिवासियो को किराये में 25 प्रतिशत की छूट व निगम के लाईसेन्सधारी कूलियों को नगरीय वाहन सेवाओं में निवास स्थान से बस स्टेण्ड आने व वापिस जाने की यात्रा करने पर किराये मे 50 प्रतिशत की छूट देय है।

जयपुर शहर में विभिन्न स्थानो पर विकसित कॉलोनियो के निवासियों को परिवहन सेवा उपलब्ध कराने की दृष्टि से निगम द्वारा विगत कई वर्षो से नगरीय बस सेवाओ का संचालन घाटा होने के बावजूद भी किया जा रहा है। वर्तमान में जयपुर शहर में लगभग 250 नगरीय बसो का संचालन प्रतिदिन किया जा रहा है। कामकाजी महिलाओ के लिये जयपुर शहर में विभिन्न स्थानो से सुबह व शाम महिला स्पेशल नगरीय बस सेवाएं संचालित की जा रही हैं।

निगम अपने यात्रियो के प्रति उत्तरदायित्व के बारे में भी पूर्ण रूप से सजग है तथा अपनी सेवाओ में निरन्तर सुधार लाकर सेवाओ को अधिक से अधिक यात्री उन्मुख बनाने की ओर से अग्रसर है निगम यात्रियो के प्रति अपनी पूर्ण प्रतिबद्धता के रूप में इस नागरिक चार्टर की उद्घोषणा करता है ताकि निगम द्वारा यात्रियों के लिये पूर्ण पारदर्शिता रहे तथा यात्रियो की अपेक्षा की पूर्ति हेतु निगम और अधिक कटिबद्ध हो सकें।

निगम की स्थापना का उद्देश्यः–

राज्य परिवहन निगम की स्थापना निम्न उद्देश्यो को पूरा करने की दृष्टि से की गई हैः–

1. यात्रियो को समन्वित एवं पर्याप्त परिवहन सेवायें उपलब्ध करवाना।
2. राज्य के यातायात सेवाओ के विकास द्वारा जनता, व्यापार एवं उद्योग को लाभ पहुॅचाना।
3. सड़क परिवहन निगम अधिनियम के अनुसार निगम का कर्त्तव्य पर्याप्त एवं उचित तौर से समन्वित सेवाओ में अभिवृद्धि करना।

परिवहन निगम द्वारा राज्य के समस्त राष्ट्रीयकृत मार्गो पर बस सेवाओं का संचालन किया जा रहा है, किन्तु विभिन्न क्षेत्रो से प्राप्त मांग के अनुरूप राज्य के कुछ अराष्ट्रीयकृत मार्गो पर भी जनता की सुविधार्थ सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रान्त के पडौसी राज्य के प्रमुख स्थानो के लिये भी अन्तर्राज्यीय मार्गो पर सेवाये प्रदान की जा रही है।

सेवाओ के प्रकारः–

- ### वोल्वो वातानुकूलित सेवाऐः–

  निर्धारित गन्तव्य तक पहुॅचाने के उद्देश्य से अत्याधुनिक सुविधाजनक कम समय में यात्रा हेतु वोल्वो वातानुकूलित सेवाऐ जयपुर–दिल्ली, दिल्ली–जोधपुर व दिल्ली–जयपुर–उदयपुर–अहमदाबाद के मध्य उपलब्ध करवाई जा रही है। शीघ्र ही राज्य के प्रमुख शहरो एवं तीर्थ स्थलो तथा पर्वतीय प्रदेशो के प्रमुख शहरो को इस प्रकार के सेवाओ से जोडने का प्रस्ताव है।

- ### वातानुकूलित बस सेवाऐ (पिंक लाईन)ः–

  परिवहन निगम द्वारा यात्रियो को अधिक आरामदायक एवं बेहतर सुविधाजनक यात्रा के लिये वातानुकूलित सेवाऐ भी उपलब्ध करायी हुई है। ये सेवायें मुख्यतः जयपुर से दिल्ली, जयपुर से आगरा, जयपुर से उदयपुर, जयपुर से जोधपुर, जयपुर से कोटा व जयपुर अहमदाबाद के लिये उपलब्ध कराई हुई है। इन सेवाओ का भी विस्तार करना एवं सेवा का स्तर और उपर उठाना प्रस्तावित है।

- ### स्लीपर कोच वातानुकूलितः–

  जयपुर से अहमदाबाद, जयपुर से हरिद्वार, जयपुर से जोधपुर, जयपुर से उदयपुर व जयपुर से आबूपर्वत के लिये उक्त सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है।

- <u>स्लीपर कोच :–</u>

  जयपुर से विरात्रामाता, गडरा रोड जैसलमेर, ग्वालियर, लखनऊ के लिये नॉन एसी स्लीपर सेवाए उपलब्ध कराई जा रही है।

- <u>डीलक्स सेवाएंः–(सिल्वर लाईन)</u>

  यात्रियो को आरामदायक एवं बेहतर यातायात सुविधाये उपलब्ध करवाने हेतु निगम द्वारा राज्य के अधिकांश जिलो के लिये डीलक्स सेवाये चलायी जा रही है। निगम द्वारा राज्य की राजधानी जयपुर से प्रान्त के समस्त संभागीय एवं जिला मुख्यालयो के लिये द्रूतगामी (ब्लू लाईन) एवं लम्बी दूरी की सेवाये उपलब्ध करायी जा रही है।

- <u>रात्रिकालीन सेवायेंः–</u>

  यात्रियों के समय को बचाने के लिये निगम द्वारा रात्रिकालीन सेवाओ का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य के अलावा सभी पडौसी राज्यो के मुख्य शहरो को जोडते हुये 500 से अधिक रात्रिकालीन सेवाये संचालित की जा रही है।

- <u>अन्तर्राज्यीय सेवायेंः–</u>

  जनता की सुविधा के लिये राज्य के पडौसी राज्यो जैसे दिल्ली, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, पंजाब, चण्डीगढ़, मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, व जम्मू कश्मीर आदि राज्यो के प्रमुख नगरो के लिये निगम द्वारा डीलक्स एवं द्रूतगामी सेवाये चलायी जा रही है।

- <u>साधारण सेवायेः–</u>

  निगम द्वारा जनता की सुविधा के लिये जिला मुख्यालयो को जोडने वाले प्रमुख कस्बो के लिये भी सेवायें संचालित की जा रही है।

- <u>अनुबन्ध सेवायेः–</u>

  जनता को शादी–विवाह, शैक्षणिक भ्रमण एवं अन्य विशिष्ठ आवश्यकताओ की पूर्ति के लिये निगम द्वारा समस्त प्रकार की सेवाये जनता की आवश्यकता एवं मांग के अनुसार पूर्व निर्धारित दरो पर उपलब्ध करायी जा रही है।

यात्रियो की सुख सुविधाः–

1. बस स्टेशन की सुविधाः–

यात्रियो की सुविधा के लिये प्रदशे के महत्वपूर्ण स्टेशनो पर बस स्टेशन, बुकिंग कार्यालय उपलब्ध है। राज्य के प्रमुख बस स्टेशनो (जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अलवर, भरतपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा इत्यादि) पर कम्पयूटर के जरिये यात्रियो को टिकिट उपलब्ध करवाये जा रहे है।

2. आरक्षण सुविधाः–

प्रान्त के विभिन्न महत्वपूर्ण नगरो में अग्रिम आरक्षण सुविधा उपलब्ध करायी हुई है। जहां यात्री आपने इच्छित मुख्य स्थान के लिये 30 दिवस पूर्व बस में सीट आरक्षित करवा सकता है। द्रुतगामी सेवाओ के अग्रिम आरक्षण के लिये कोई अतिरिक्त राशि नही ली जाती है।डीलक्स, सेमीडीलक्स व वातानुकूलित बसों का आरक्षण शुल्क 2/–रू0 है।

जयपुर नगर के विभिन्न स्थानो पर स्थित कम्प्यूटर से ई–टिकटिंग के 30 निजी कियोस्क पर सीट आरक्षण एवं टिकिट बिक्री की सुविधा उपलब्ध कराई हुई है। यह सुविधा जयपुर से प्रारम्भ होने वाली वातानुकूलित, डीलक्स एवं सेमी डीलक्स बसों के लिये उपलब्ध है। इन कियोस्क का पता व दूरभाष संख्या यथा स्थान दिये गये है। इसके अतिरिक्त जयपुर शहर में टेलीफोन के द्वारा अधिकतम 6 सीटों के आरक्षण की सुविधा भी उपलब्ध है।

केन्द्रीय बस स्टेण्ड सिन्धी कैम्प, जयपुर के अलावा नारायण सिंह सर्किल व बीकानेर हाउस दिल्ली व अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल दिल्ली से भी आरक्षण एवं ऑनलाईन टिकिट की सुविधा उपलब्ध कराई हुई है।

सांसदो, विधायको के लिये निगम की सभी बस सेवाओं में सीट आरक्षण की व्यवस्था उपलब्ध कराई हुई है। महिलाओ विकलांगों के लिये साधारण/द्रुतगामी सेवाओ में सीट आरक्षण की व्यवस्था है। जयपुर व दिल्ली पर कम्प्यूटर से आरक्षण, चालू टिकिट ,एवं वापसी टिकिट की व्यवस्था भी उपलब्ध है।

3. रियायती मासिक पासः–

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की साधारण एवं द्रुतगामी वाहनों में महिलाओं यात्रीयों को 90 प्रतिशत/ विद्यार्थियों को 50 प्रतिशत एवं सामान्य यात्रीयों को 45 प्रतिशत की छूट रियायती मासिक पास में प्रदान की जाती है।

4. यात्री, दुर्घटना, क्षतिपूर्ति योजनाः—

निगम में यात्रियों को दुर्घटना होने पर तत्काल/क्षतिपूर्ति योजना प्रभावी है। इस योजना में दुर्घटना, क्षतिपूर्ति, अधिभार की वसूली, यात्रियों से यात्री किराये के साथ वसूल की जाती है। यह वसूली किराया राशि 16/—रू0 से 23/—रू0 तक या 41 कि.मी. से 60 कि.मी. तक की यात्रा पर रू0 1/— प्रतियात्री तथा इससे अधिक किराया राशि या कि.मी. यात्रा पर (जो भी पहले हो) रू0 2/— प्रतियात्री वसूली योग्य है। योजना के अन्तर्गत नियमानुसार सहायता/क्षतिपूर्ति दी जाती है।

- समय सारणी का प्रदर्शन

निगम के प्रमुख—प्रमुख बस स्टैण्डों पर विभिन्न प्रकार की बस सेवाओं की समय सारणी का अंकन कर बोर्ड लगवाये गये हैं। तथा विभिन्न श्रेणियों की निगम वाहनों की समय सारणी निगम वेबसाईट http://rsrtconline.rajasthan.gov.in एवं RSRTC App पर उपलब्ध है।

- वातानूकुलित प्रतिक्षालयः—

निगम के केन्द्रीय बस स्टेण्ड, सिन्धीकैम्प, जयपुर तथा दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर बस स्टेण्ड पर वातनूकुलित प्रतिक्षालय उपलब्ध है।

- पूछताछ सेवाः—

प्रान्त के महत्वपूर्ण नगरो एवं कस्बो में जहॉ—जहॉ निगम के बस स्टैण्ड/बुकिंग कार्यालय स्थापित है, वहां यात्रियो की सुविधा के लिये पुछताछ केन्द्र भी उपलब्ध कराये हुये है। जहॉ पर यात्रीगण बस संचालन की समस्त जानकारी प्राप्त कर सकते है। इसके अतिरिक्त बसो के आवागमन एवं अन्य आवश्यक सूचनाओ की घोषणाओं के लिये लाउडस्पीकर भी उपलब्ध कराये हुये है।

- सुझाव एवं शिकायतेः—

निगम के प्रमुख—प्रमुख बस स्टेण्डों पर शिकायते एवं सुझाव पुस्तिकायें उपलब्ध करायी हुई है। जिसमें कोई भी यात्री अपने सुझाव/शिकायते दर्ज करा सकता है। तथा निगम की बसों में मुख्य प्रबन्धक, प्रबन्धक संचालन, प्रबन्धक यातायात एवं मुख्यालय स्थित नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नम्बर अंकित किये गये है। इसके अतिरिक्त सुझाव एवं शिकायत रोडवेज हैल्प लाईन नम्बर **9549456745 एवं 1800—2000—103 (टोल फ्री)** पर तथा मुख्यालय स्थित नियंत्रण कक्ष के टेलीफोन नम्बर 0141—**2373043** तथा 0141—2373044 पर दर्ज कराई जा सकती है।

मुख्यालय स्थित नियंत्रण कक्ष 24 घण्टे कार्यरत है। साथ ही यातायात विभाग की शिकायत शाखा में यात्रियों द्वारा सर्विस संबंधी ऑफ लाइन एवं ऑनलाईन शिकायतें प्राप्त होती है। ऑनलाईन शिकायतें निम्न ई–मेल आईडी पर दर्ज करवायी जाती हैः–

1. emcomplaint.rsrtc@rajasthan.gov.in
2. rsrtc.emcomplaint@gmail.com
3. INGRAM Portal

- <u>क्लोक रूम व्यवस्थाः–</u>

निगम के प्रमुख स्टैण्डो पर यात्रियो के सुविधार्थ क्लोक रूम भी उपलब्ध हैं यात्रीगण अपना सामान भी कुछ समय के लिये सुरक्षित रख सकते है।

- <u>अन्य सुविधायेंः–</u>

निगम के प्रमुख बस स्टेण्डो पर यात्रियो के सुविधार्थ एसटीडी/पीसीओ बूथ भी उपलब्ध कराये हुये है। निगम के केन्द्रीय बस स्टेण्ड, सिन्धीकैम्प, जयपुर एवं लगभग सभी आगारो पर पोर्टर/कूलियों की सुविधा भी उपलब्ध है।

- <u>निगम वेबसाईटः –</u>

निगम के क्रियाकलापो को ओर पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाने के लिये निगम द्वारा अपनी सभी गतिविधियों निगम की वेबसाईट transport.rajasthan.gov.in/rsrtc पर उपलब्ध कराई हुई है।

<u>रियायती दरो पर यात्रा सुविधाः–</u>

वर्तमान में निगम द्वारा निम्न श्रेणी के यात्रियो को निःशुल्क/रियायती यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। (परिशिष्ठ संलग्न है)
यात्रियो एवं आम जनता की सुविधा के लिये प्रार्थना पत्रो का निस्तारण निम्न प्रकार से किया जाता हैः–

क्रसं0	कार्य	प्रार्थना पत्र जिन्हे प्रस्तुत किया जायेगा।	पत्र के निस्तारण की अवधि
(1)	**बस संचालन व्यवस्था बाबत्ः–**		
1.	किसी भी अन्तर्राज्यीय मार्ग पर बस चलाने बाबत्।	कार्यकारी निदेशक (यातायात)	तीन माह
2.	किसी भी राष्ट्रीयकृत मार्ग पर बस चलाने बाबत्।	कार्यकारी निदेशक (यातायात)	एक माह
3.	किसी भी अराष्ट्रीयकृत मार्ग पर बस चलाने बाबत्।	कार्यकारी निदेशक (यातायात)	तीन माह
4.	नगरीय क्षेत्र में बस चलाने बाबत	कार्यकारी निदेशक (यातायात)	तीन दिन
5.	उपनगरीय क्षेत्र में बस चलाने बाबत	कार्यकारी निदेशक (यातायात)	तीन माह
(2)	**बस स्टैण्ड निर्माण बाबतः–**		
1.	बडे नगरो में बस स्टोप की सुविधा सृजित करने बाबत्।	कार्यकारी निदेशक (प्रशासन) महा प्रबन्धक	तीन दिन
2.	ग्रामीण इलाको में तथा नई जगह बस स्टेण्ड स्थापित करने बाबत्।	कार्यकारी निदेशक (प्रशासन) महा प्रबन्धक	दस दिन
3.	बस स्टेण्ड निर्माण बाबत्।	कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)	एक माह
4.	वर्तमान में निर्मित बस स्टेण्ड में विस्तार बाबत्।	कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)	एक माह
(3)	**बस स्टैण्ड पर जनसुविधा बाबत्ः–**		
1.	छाया आदि की सुविधा (सामान्यतया रहती है लेकिन यदि अतिरिक्त आवश्यकता हो तो)	सम्बन्धित मुख्य प्रबन्धक	दो माह
2.	बैठने के लिये व्यवस्था (सामान्यतया रहती है लेकिन यदि अतिरिक्त आवश्यकता हो तो)	सम्बन्धित मुख्य प्रबन्धक	दो माह
3.	टायलेट की सफाई बाबत	सम्बन्धित मुख्य प्रबन्धक	एक दिन
4.	बस स्टेण्ड की सामान्य सफाई	सम्बन्धित मुख्य प्रबन्धक	तीन दिन
5.	दुकानो के बिकने वाली सामग्री बाबत् शिकायत	सम्बन्धित मुख्य प्रबन्धक	एक दिन
6.	एसटीडी एवं टेलीफोन सुविधा बाबत्	सम्बन्धित मुख्य प्रबन्धक	एक दिन
7.	कैन्टीन व्यवस्था (सामान्यतया रहती है लेकिन यदि अतिरिक्त आवश्यकता हो तो)	सम्बन्धित मुख्य प्रबन्धक	एक दिन
8.	पीने के पानी की सुविधा	सम्बन्धित मुख्य प्रबन्धक	एक दिन
(4)	**आम जनता की शिकायतो से सम्बन्धित कार्यवाहीः–**		
1.	चालक से सम्बन्धित	सम्बन्धित मुख्य प्रबन्धक	तीन दिन
2.	बस लेट होन से सम्बन्धित	सम्बन्धित मुख्य प्रबन्धक	तीन दिन
3.	बस में कार्यरत कर्मचारी की शिकायत बाबत्	सम्बन्धित मुख्य प्रबन्धक	तीन दिन
4.	पूछताछ केन्द्र कर्मचारियों की शिकायत	सम्बन्धित मुख्य प्रबन्धक	तीन दिन
5.	बस स्टेण्ड की जनसुविधा के बारे में शिकायते	सम्बन्धित मुख्य प्रबन्धक	तीन दिन
6.	ब्स संचालन के समय एवं परिचालक के व्यवहार की शिकायत	सम्बन्धित मुख्य प्रबन्धक	तीन दिन
7.	अधिक किराया लेने की शिकायत	सम्बन्धित मुख्य प्रबन्धक	तीन दिन
8.	टिकिट नही देने की शिकायत	सम्बन्धित मुख्य प्रबन्धक	तीन दिन

बस स्टेण्ड के निर्माण/विस्तार/मरम्मत/यात्री सुविधाओं के संबंध में

A. बस स्टेण्ड के निर्माण/विस्तार/मरम्मत हेतु प्राप्त पत्रों के निस्तारण की निर्धारित अवधिः–

कार्य	प्रार्थना पत्र जिसे प्रस्तुत किया जायेगा।	पत्र के निस्तारण की अवधि
बस स्टेण्ड के निर्माण/विस्तार के संबधं में प्राप्त पत्र	कार्यकारी निदेशक (प्रशासन) अधीक्षण अभियंता (निर्माण)	01 माह
बस स्टेण्ड पर मरम्मत (यथा–शौचालय, मुत्रालय, शैड ,प्याऊ, सडक, विधुतकार्य, कुर्सिया, प्रतीक्षालय, केन्टिन, पार्किंग इत्यादि) कार्य के संबंध में	अधीक्षण अभियंता (निर्माण) संबंधित मुख्य प्रबन्धक	01 माह

B. निर्माण कार्यो के संपादन हेतु निर्धारित अवधिः–

(1) निगम के बस स्टेण्ड निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नही होने की स्थिति मेंः–

निगम के बस स्टेण्ड निर्माण हेतु भूमि संबंधित विभाग से उपलब्ध होने तथा निर्माण कार्यो की लागत हेतु राशि उपलब्ध होने के पश्चात आवश्यकतानुसार बस स्टेण्ड के निर्माण कार्य निम्न अवधि में करवाया जा सकता हैः–

क्र. सं	विवरण	प्रार्थना पत्र जिसे प्रस्तुत किया जायेगा।	निर्माण कार्यावधि
1	संभागीय मुख्यालय स्तर पर बस स्टेण्ड निर्माण	कार्यकारी निदेशक (प्रशासन) अधीक्षण अभियंता (निर्माण)	PWD नोमर्स के अनुसार
2	जिला मुख्यालय स्तर पर बस स्टेण्ड निर्माण	कार्यकारी निदेशक (प्रशासन) अधीक्षण अभियंता (निर्माण)	PWD नोमर्स के अनुसार
3	तहसील मुख्यालय व अन्य स्थानों पर बस स्टेण्ड निर्माण	कार्यकारी निदेशक (प्रशासन) अधीक्षण अभियंता (निर्माण)	PWD नोमर्स के अनुसार

(2) निगम के बस स्टेण्ड निर्माण/विस्तार हेतु भूमि उपलब्ध होने की स्थिति मेंः–

निगम को निर्माण कार्यो की लागत हेतु राशि उपलब्ध होने के पश्चात आवश्यकतानुसार बस स्टेण्ड के निर्माण कार्य निम्न अवधि में करवाया जा सकता हैः–

क्र. सं	विवरण	प्रार्थना पत्र जिसे प्रस्तुत किया जायेगा।	निर्माण कार्यावधि
1	संभागीय मुख्यालय स्तर पर बस स्टेण्ड निर्माण	कार्यकारी निदेशक (प्रशासन) अधीक्षण अभियंता (निर्माण)	PWD नोमर्स के अनुसार
2	जिला मुख्यालय स्तर पर बस स्टेण्ड निर्माण	कार्यकारी निदेशक (प्रशासन) अधीक्षण अभियंता (निर्माण)	PWD नोमर्स के अनुसार
3	तहसील मुख्यालय व अन्य स्थानों पर बस स्टेण्ड निर्माण	कार्यकारी निदेशक (प्रशासन) अधीक्षण अभियंता (निर्माण)	PWD नोमर्स के अनुसार
4	वर्तमान बस स्टेण्ड का विस्तार	कार्यकारी निदेशक (प्रशासन) अधीक्षण अभियंता (निर्माण)	PWD नोमर्स के अनुसार

C. बस स्टेण्ड पर यात्री सुविधाओं/मरम्मत हेतु निर्माण कार्य के संपादन हेतु निर्धारित अवधिः–

निगम को निर्माण कार्यो की लागत हेतु राशि उपलब्ध होने के पश्चात आवश्यकतानुसार बस स्टेण्ड पर यात्री सुविधाओं/मरम्मत हेतु निर्माण कार्य संपादित करवाया जा सकता हैः–

विवरण	प्रार्थना पत्र जिसे प्रस्तुत किया जायेगा।	निर्माण कार्यावधि
बस स्टेण्ड पर मरम्मत (यथा–शौचालय, मुत्रालय, शैड ,प्याऊ, सडक, विधुतकार्य, कुर्सिया, प्रतीक्षालय, केन्टिन, पार्किंग इत्यादि) कार्य के संबंध में	अधीक्षण अभियंता (निर्माण) संबंधित मुख्य प्रबन्धक	PWD नोमर्स के अनुसार

यात्रियो के कर्तव्यः–

1. निगम की बसे आपकी सम्पत्ति है। इनकी सुरक्षा करना आपका दायित्व है।
2. कृपया टिकिट लेकर ही यात्रा करें बिना टिकिट यात्रा करना कानूनन अपराध है।
3. बस की छत पर यात्रा करना एवं चलती बस में चढना/उतरना जोखिमपूर्ण है।
4. अनाधिकृत बसों में यात्रा करना असुरक्षित, जोखिम भरा व गैरकानूनी है।
5. बस स्टेशन और बस को साफ–सुथरा रखने में सहयोग दें। बस में धूम्रपान नही करे। यात्रा में कोई भी विस्फोटक/ज्वलनशील सामान साथ न रखे।
6. चलती बस में चढने/उतरने का प्रयास नही करें।
7. सुझाव पेटी और शिकायत पुस्तिका का उपयोग करें।
8. बस में सहयात्री (अपरिचित) से खाने पीने की वस्तु या खाद्‌य पदार्थ नही लें।
9. बस में शराब पीकर यात्रा नही करें ओर ना ही बस में शराब का सेवन करें।
10. लावारिस सामान बस में हो तो तुरन्त चालक/परिचालक पुलिस को सूचित करें।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में यात्रा क्यो करे ?

1. राजस्थान परिवहन निगम का उद्‌देश्य जनता को कुशल, सुरक्षित, पर्याप्त व लिंक बस सेवाये उपलब्ध करवाना है।
2. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें विधि सम्मत कानूनों व नियमों के अन्तर्गत बिना दबाव के संचालित होने से बस चालक पर कोई मानसिक दबाव नही, जिससे दुर्घटनाओ की न्यूनतम संभावनायें।
3. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसे समय की पाबन्दी के लिये प्रयासरत।
4. प्रत्येक यात्री बीमा योजना के अधीन सुनिश्चित व सुरक्षित यात्रा की गारन्टी।
5. ग्रामीण, लम्बी दूरी व अन्तर्राज्यीय मार्गो के लिये समन्वित बस सेवायें।
6. जयपुर के 27 विभिन्न स्थानो पर कम्पयूटर से सीधा आरक्षण।
7. उप नगरीय व लम्बी दूरी के मासिक पास धारियों को किराये में छूट।
8. विभिन्न निर्धारित श्रेणी के लोगो के लिये रियायती व निःशुल्क यात्रा सुविधा।
9. नियमित दैनिक यात्रा पर मासिक पास पर 40 प्रतिशत की छूट व विधार्थियों के लिये 50 प्रतिशत की छूट।
10. वोल्वो, डीलक्स एवं वातानूकुलित श्रेणी में देश की सवश्रेष्ठ सेवाएं प्रदत्त।

निवेदन

''राजस्थान परिवहन परिवहन निगम की बसों में यात्रा करने वाले यात्री कृपया परिचालक से टिकिट मांग कर सहयोग प्रदान करें। बिना टिकिट पाये जाने पर बिना टिकिट यात्रा निवारण अधिनियम के अन्तर्गत एक माह तक के कारावास या दो सौ पचास रूपये तक के जुर्माने अथवा दोनो से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। अतः पुनः निवेदन है कि परिचालक से बस टिकिट की मांग अवश्य करें। ''

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय, जयपुर जयपुर ।

राजस्थान राज्य के विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों को राजस्थान सरकार के निर्देश/अनुमोदन अनुसार देय निःशुल्क/रियायती यात्रा सुविधाओं का विवरण

नवीनतम स्थिति दिनांक 12.03.2024

क्र.सं.	श्रेणी	देय सुविधा	पात्रता /याता का आधार	वाहन श्रेणी जिसमें निःशुल्क/रियायती यात्रा सुविधा देय है।	वर्तमान में देय सुविधाक हॉ से कहॉ तक	सुविधा कब से देय हुई
1	पत्रकार	निःशुल्क	डी.पी.आर से जारी आदेशानुसार अधिकृत पत्रकार को निगम से जारी /RFID कार्ड एवं यात्रा कपून के आधार पर	साधारण, द्रुतगामी सेमी डीलक्स ,डीलक्स बस	केवल राजस्थान एवं दिल्ली तक की यात्रा	वर्ष –1974
2	अधिस्वीकृत पत्रकार	निःशुल्क	RFID कार्ड के आधार पर	वातानुकूलित/वोल्वों वाहनों में ।	राजस्थान राज्य की सीमा व दिल्ली तक यात्रा	17.6.2016
3	स्वतन्त्रता सैनानी	निशुल्क	राजस्थान सरकार से जारी पेंशन आदेश के आधार पर व निगम से जारी /RFID कार्ड	समस्त वाहन श्रेणी (वातानुकूलित बसों में यात्रा दिनांक 08.01.2014 से स्वीकृत)	जहॉ तक निगम वाहने संचालित है ।	01.04.1987
4	स्वतन्त्रता सेनानी का एक सहयोगी	निशुल्क	----------------	कम सं. 3 के अनुसार यथावत ।	जहॉ तक निगम वाहने संचालित है।	07.05.1994
5	स्वतन्त्रता सैनानियों की विधवाऐं	निःशुल्क	राजस्थान सरकार से जारी पेंशन आदेश के आधार पर व निगम से जारी /RFID कार्ड	कम सं. 3 के अनुसार यथावत ।	जहॉ तक निगम वाहने संचालित है।	04.05.1989
6	स्वतन्त्रता सैनानी की विधवा का एक सहयोगी	निःशुल्क	----------------	कम सं. 3 के अनुसार यथावत।	जहॉ तक निगम वाहने संचालित है।	02.03.2007

7	(i) युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवायें एवं उन पर आश्रित अवयस्क संताने	निःशुल्क	सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा जारी पेंशन पत्रादि के आधार पर निगम द्वारा जारी /RFID कार्ड के आधार पर	साधारण, द्रुतगामी एवं डीलक्स वाहने	केवल राजस्थान राज्य क्षेत्र में।	8/7/1999
	(ii) दिनांक 01-04-1999 एवं इसके बाद विभिन्न सैन्य ऑपरेशन में शहीद सैनिकों /अर्द्ध सैनिक बलों के शहीद सैनिकों की विधवायें एवं उन पर आश्रित अवयस्क सन्ताने			(डीलक्स बसों में यात्रा सुविधा दिनांक 15.04.2013 से स्वीकृत)		15.04.2013
	(iii) दिनांक 01-04-1999 एवं इसके बादविभिन्न सैन्य ऑपरेशन में शहीद सैनिकों के माता–पिता					15.07.2013
8	राज्य की अनुसूचित जाति एवं आदिवासी क्षेत्र की कक्षा 8 तक पढने वाली आदिवासी बालिकाऐं	निःशुल्क	विद्यालय द्वारा जारी परिचय पत्र के आधार पर निगम कार्यालय द्वारा शिड्यूल iii / RFID कार्ड के आधार पर	साधारण एवं द्रुतगामी सेवाएं	राजस्थान राज्य क्षेत्र में घर से स्कूल तक आने जाने हेतु	जून, 1994
9	पदम पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति	निःशुल्क	महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा जारी पद्म पुरस्कार के प्रमाण पत्र के आधार पर जन सम्पर्क शाखा मुख्यालय जयपुर में प्रस्तुत करने पर जारी /RFID कार्ड के आधार पर	वातानुकूलित एवं वोल्वों वाहन सहितसमस्त वाहन श्रेणी	जहॉ तक निगम वाहने संचालित हैं।	24.05.2010
10	पदम पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति का एक सहयोगी	निःशुल्क	---------------	वातानुकूलित एवं वोल्वों वाहन सहित समस्त वाहन श्रेणी	जहॉ तक निगम वाहने संचालित हैं।	06.04.2011
11	राष्ट्रीय एवम् राज्य स्तर पर पुरस्कृत शिक्षकों को यात्री किराया मे रियायत	निःशुल्क	जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी प्रपत्रों के अनुसार निगम द्वारा जारी /RFID कार्ड के आधार पर	साधारण एवं द्रुतगामी सेवाएं / रात्री	राजस्थान राज्य सीमा में	4.2.2020
12	अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्द्धाओं में राज्य के पदक विजेता	निःशुल्क	खेल स्पर्धा का मूल प्रमाण पत्र जन सम्पर्क शाखा मुख्यालय जयपुर में प्रस्तुत करने पर, जारी परिचत्र पत्र /RFID कार्ड के आधार पर	समस्त वाहन श्रेणी(सुपर लक्जरी बसों के अतिरिक्त)	जहॉ तक निगम वााहने संचालित है ।	10.08.2010

13	राष्ट्रपति पुलिस मेडल फॉर गेलेन्ट्री एवम् पुलिस मेडल फॉर गेलेन्ट्री अवार्ड से सम्मानित व्यक्ति नोटः–दिनांक 08.01. 2014 सें राज0 पुलिस के साथ BSF, CRPF, & RAC को भी इसमें सम्मिलित किया गया ।	निःशुल्क	अवार्ड के प्रमाण पत्र के आधार पर जन सम्पर्क शाखा मुख्यालय जयपुर से जारी /RFID कार्ड के आधार पर	वातानुकूलित एवं वोल्वों वाहन सहित समस्त वाहन श्रेणी	जहॉ तक निगम वााहने संचालित है ।	7/6/2011
14	राष्ट्रपति पुलिस मेडल फॉर गेलेन्ट्री एवम् पुलिस मेडल फॉर गेलेन्ट्री अवार्ड से सम्मानित व्यक्ति जो वर्तमान में सेवारत नहीं है का एक सहयोगी	निःशुल्क	-------------	वातानुकूलित एवं वोल्वों वाहन सहित समस्त वाहन श्रेणी	जहॉ तक निगम वााहने संचालित है ।	30.08.2011
15	सशस्त्र सैना के शौर्य पदक धारक	निःशुल्क	अवार्ड के प्रमाण पत्र के आधार पर जन सम्पर्क शाखा मुख्यालय जयपुर से जारी /RFID कार्ड के आधार पर	वातानुकूलित एवं वोल्वों वाहन सहित समस्त वाहन श्रेणी	जहॉ तक निगम वााहने संचालित है ।	20.5.2020
16	80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनो (महिला/पुरूष) को मुफ्त यात्रा एवं एक सहयोगी को 50 प्रतिशत की छूट ।	स्वंय को निःशुल्क, सहयोगी को 50ः प्रतिशत छूट	80 वर्ष व उससे अधिक आयु होने का निर्धारित प्रपत्रों में से कोई एक प्रपत्र प्रस्तुत करने पर निगम द्वारा जारी /RFID कार्ड के आधार पर	समस्त वाहन श्रेणी	केवल राजस्थान राज्य सीमा तक यात्री किराया में	17.04.2018
17	UPSC/RPSC/RSMSSB द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के साक्षात्कार में उपस्थिति हेतु निःशुल्क यात्रा ।	निःशुल्क	आयोजित परीक्षा के प्रेवश पत्र,साक्षात्कार हेतु प्राप्त पत्र एवं मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति के साथ निवास स्थान से साक्षात्कार स्थल तक निःशुल्क यात्री सुविधा।	साधारण एवं द्रुतगामी	निवास स्थान से साक्षात्कार स्थल तक	22.5.2018
18	सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों एवं प्रदेश के युवा ब्राण्ड एम्बेसडर्स को निःशुल्क यात्रा ।	निःशुल्क	आयोजित परीक्षा के प्रेवश पत्र,एवं मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति के साथ निवास स्थान से परीक्षा स्थल तक निःशुल्क यात्री सुविधा ।	साधारण एवं द्रुतगामी	निवास स्थान से परीक्षा स्थल तक	16.4.2021

19	**राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत विभिन्न श्रेणी के युवा** 1. राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्तकर्ता, 2.राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में प्रथम विजेता, 3.राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत राष्ट्रीय सेवा योजना कैडेट्स 4.राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत एन.सी.सी. कैडेट्स 5.राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत स्काउटस एण्ड गाईड्स	निःशुल्क	1.राष्ट्रीय स्तर पुरस्कार प्राप्ति का प्रमाण पत्र 2. आधार कार्ड की प्रति। 3. मूल निवास प्रमाण पत्र।	साधारण एवं द्रुतगामी	राजस्थान राज्य क्षेत्र में	01.04.2023
20	नेत्रहीन /अंधता	निःशुल्क	नेत्रहीन/अंधता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर निगम से जारी /RFID कार्ड पर	साधारण एवं द्रुतगामी सेवाएं/रात्री सेवाओं में	जहॉ तक निगम वाहने संचालित है।	वर्ष –1974
21	नेत्रहीन /अंधता का एक सहयोगी	निःशुल्क	--------------	साधारण एवं द्रुतगामी सेवाएं/रात्री सेवाओं में	जहॉ तक निगम वाहने संचालित है।	09.03.2005
22	श्रवण बाधित	निःशुल्क	प्राधिकृत विषय विशेषज्ञ चिकित्सक के प्रमाण पत्र पर निगम द्वारा जारी /RFID कार्ड के आधार पर	साधारण एवं द्रुतगामी सेवाएं/रात्री सेवाओं में	जहॉ तक निगम वाहने संचालित है ।	03.08.2010
23	विकलांग (अस्थि)/ चलन निःशक्तता	निःशुल्क	कम सं. 22 के अनुसार यथावत।	साधारण एवं द्रुतगामी सेवाएं/रात्री सेवाओं में	जहॉ तक निगम वाहने संचालित है।	03.08.2010
24	मानसिक विमन्दित/मंदता	निःशुल्क	कम सं. 22 के अनुसार यथावत।	साधारण एवं द्रुतगामी सेवाएं/रात्री सेवाओं में ।	जहॉ तक निगम वाहने संचालित है ।	31.08.1998
25	मानसिक विमन्दित/मंदता से ग्रसित व्यक्ति का एक सहयोगी	निःशुल्क	-------------	साधारण एवं द्रुतगामी सेवाएं/रात्री सेवाओं में	जहॉ तक निगम वाहने संचालित है ।	03.08.2010
26	कम दृष्टि निःशक्तता	निःशुल्क	कम सं. 22 के अनुसार यथावत।	साधारण एवं द्रुतगामी सेवाएं/रात्री सेवाओं में।	जहॉ तक निगम वाहने संचालित है ।	03.08.2010

27	मानसिक रूग्णता	निःशुल्क	कम सं. 22 के अनुसार यथावत।	साधारण एवं द्रुतगामी सेवाएं/रात्री सेवाओं में ।	जहॉ तक निगम वाहने संचालित है ।	03.08.2010
28	मानसिक रूग्णता से ग्रसित व्यक्ति का एक सहयोगी	निःशुल्क	------------	साधारण एवं द्रुतगामी सेवाएं/रात्री सेवाओं में ।	जहॉ तक निगम वाहने संचालित है ।	03.08.2010
29	कुष्ट रोग मुक्त	निःशुल्क	कम सं. 22 के अनुसार यथावत।	समस्त वाहन श्रेणी	केवल राजस्थान राज्य सीमा तक	01.04.2023
30	स्वलीनता	निःशुल्क	कम सं. 22 के अनुसार यथावत।	साधारण एवं द्रुतगामी	जहॉ तक निगम वाहने संचालित है ।	7/5/2021
31	मल्टीपल स्कलरोसीस	निःशुल्क	कम सं. 22 के अनुसार यथावत।	साधारण एवं द्रुतगामी	जहॉ तक निगम वाहने संचालित है ।	7/5/2021
32	प्रमस्तिष्क घात	निःशुल्क	कम सं. 22 के अनुसार यथावत।	साधारण एवं द्रुतगामी	जहॉ तक निगम वाहने संचालित है ।	7/5/2021
33	कोनिक न्यूरोलाजिकल कण्डीशन	निःशुल्क	कम सं. 22 के अनुसार यथावत।	साधारण एवं द्रुतगामी	जहॉ तक निगम वाहने संचालित है ।	7/5/2021
34	बौनापन	निःशुल्क	कम सं. 22 के अनुसार यथावत।	साधारण एवं द्रुतगामी	जहॉ तक निगम वाहने संचालित है ।	7/5/2021
35	हीमोफिलिया /अधिरक्त स्राव	निःशुल्क	कम सं. 22 के अनुसार यथावत।	साधारण एवं द्रुतगामी	जहॉ तक निगम वाहने संचालित है ।	7/5/2021
36	तेजाब हमला पीडित	निःशुल्क	कम सं. 22 के अनुसार यथावत।	साधारण एवं द्रुतगामी	जहॉ तक निगम वाहने संचालित है ।	7/5/2021
37	पार्किनास रोगी	निःशुल्क	कम सं. 22 के अनुसार यथावत।	साधारण एवं द्रुतगामी	जहॉ तक निगम वाहने संचालित है ।	7/5/2021
38	बहुनिःराक्ता (अन्धता एवं बहरा)	निःशुल्क	कम सं. 22 के अनुसार यथावत।	साधारण एवं द्रुतगामी	जहॉ तक निगम वाहने संचालित है ।	7/5/2021
39	स्पेसिफिकलर्निग डिसेबलीटी	निःशुल्क	कम सं. 22 के अनुसार यथावत।	साधारण एवं द्रुतगामी	जहॉ तक निगम वाहने संचालित है ।	7/5/2021
40	थैलसिमिया	निःशुल्क	कम सं. 22 के अनुसार यथावत।	साधारण एवं द्रुतगामी	जहॉ तक निगम वाहने संचालित है ।	7/5/2021
41	मासपेशीय दुर्विकास	निःशुल्क	कम सं. 22 के अनुसार यथावत।	साधारण एवं द्रुतगामी	जहॉ तक निगम वाहने संचालित है ।	7/5/2021

42	सिकल सैल डिजीज	निःशुल्क	क्रम सं. 22 के अनुसार यथावत।	साधारण एवं द्रुतगामी	जहॉ तक निगम वााहने संचालित है ।	7/5/2021
43	वाक् एवं भाषा निःशक्ता	निःशुल्क	क्रम सं. 22 के अनुसार यथावत।	साधारण एवं द्रुतगामीृ	जहॉ तक निगम वााहने संचालित है ।	7/5/2021
44	एड्सरोगी(IMMUNO COMPROMISED)	यात्री किराया में 75%छूट	चिकित्सक द्वारा ईलाज के लिए जारी पत्र के आधार पर	साधारण एवं द्रुतगामी सेवाएं/रात्री	घर से अस्पताल तक आने जाने हेतु।	25.08.2003
45	कैन्सर रोगी	यात्री किराया में 75%छूट	चिकित्सक द्वारा ईलाज के लिए जारी पत्र के आधार पर	साधारण एवं द्रुतगामी सेवाएं/रात्री	घर से अस्पताल तक आने जाने हेतु ।	1/5/1984
46	असंक्रामक कुष्ट रोगी	यात्री किराया में 75%छूट	चिकित्सक द्वारा ईलाज के लिए जारी पत्र के आधार पर	साधारण एवं द्रुतगामी सेवाएं/रात्री सेवाओं में।	धर से अस्पताल तक आने जाने तक	01.04.1987
47	थैलीसीमिया रोगी का एक सहयोगी	यात्री किराया में 50%छूट	---------------	साधारण एवं द्रुतगामी सेवाएं/रात्री सेवाओं में।	रोगी के साथ घर से अस्पताल तक आने जाने हेतु	25.08.2003
48	हीमोफिलिया (Hemophilia) रोगी का एक सहयोगी	यात्री किराया में 50%छूट	....	साधारण एवं द्रुतगामी	घर से अस्पताल तक आने जाने हेतु।	15.10.2014
49	कैन्सर रोगी का एक सहयोगी	यात्री किराया में 50%छूट	--------------	साधारण एवं द्रुतगामी सेवाएं/रात्री	रोगी के साथ घर से अस्पताल तक आने जाने हेतु	25.8.2003
50	विद्यार्थी	यात्री किराया में 50% छूट	विद्यालय द्वारा जारी परिचय पत्र के आधार पर निगम कार्यालय द्वारा शिड्यूल iii /परिचय पत्र के आधार पर	साधारण एवं द्रुतगामी सेवाएं/रात्री	निवास स्थान से शिक्षण संस्थान तक 75 कि.मी. तक की परिधि में	1974
51	निगम के लाईसेन्स धारी कूलियों को नगरीय सेवाओं में यात्रा सुविधा	यात्री किराया में 50%छूट	निगम द्वारा जारी कुली लाईसेन्स के आधार पर	केवल नगरीय बस सेवाओं में	निगम की नगरीय बस सेवा में निवास स्थान से बस स्टेण्ड तक	19.5.2008

52	निम्न धार्मिक पर्व/लक्खी मेंलाों में निगम बसों में यात्रा करने पर यात्री किराया राशि में छूटः–	यात्री किराया में 50% छूट	मेला स्थल तक आन जाने वाले यात्रियों को	साधारण एवं द्रुतगामी सेवाएं	केवल राजस्थान राज्य सीमा तक	01.04.2023
	1.कैलादेवी (करौली)					
	2.झील का बाडा (भरतपुर)					
	3.रामदेवरा (जौधपुर)					
	4.पुष्कर (अजमेर)					
	5.उर्स मेला (अजमेर)					
	6.खाटूश्यामजी (सीकर)					
	7.सालासर बालाजी (चूरू)					
	8.गोगामेड़ी (हनुमानगढ)					
	9.बेणेश्वर धाम (डूंगरपुर)					
	10.रणथम्भौर गणेशजी (सवाईमाधोपुर)					
	11.डिग्गी कल्याण जी मेला . (टोंक)					
	12.भृतहरि/पाण्डूपोल मेला (अलवर)					
	13.बुढाडा जोहड गुरूद्वारा (श्रीगंगानगर)					
	14.फाल्गुन (मुकाम) (बीकानेर)					
	15.सांवलिया सेठ –जलझूलनी एकादशी मेला (चित्तौडगढ)					

53	महिला	यात्री किराया में 50% छूट	महिला यात्री ।	समस्त वाहन श्रेणी ।	केवल राजस्थान राज्य सीमा तक_	23.06.2023
54	60 वर्ष से 80 वर्ष तक आयु के वरिष्ठ नागरिक	यात्री किराया में 50% छूट	60 वर्ष से 80 वर्ष तक आयु होने का निर्धारित प्रपत्रों में से कोई एक प्रपत्र प्रस्तुत करने पर या निगम द्वारा जारी /RFID कार्ड के आधार पर	समस्त वाहन श्रेणी ।	केवल राजस्थान राज्य सीमा तक	12.03.2024
55	आदिवासी जन जाति क्षेत्र के आदिवासियों को	यात्री किराया में 50% छूट	चुनाव आयोग का पहचान पत्र/बी.पी.एल. कार्ड/राशन कार्ड अथवा समक्ष अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र में से कोई एक (आदिवासी होने का प्रमाण पत्र)	साधारण सेवाएं	आदिवासी क्षेत्रों में संचालित स्थानीय सांधारण सेवा की बसों में	23.02.2008

उक्त के अतिरिक्त निम्न पुलिस/सुरक्षाकर्मियों की मृत्यु पर उनकी पत्नी तथा आश्रित बच्चों को निगम बसों में निःशुल्क सुविधा की अनुमति दी गई :–				
1	कॉस्टेबल स्वर्गीय श्री चन्द्रभान	निःशुल्क		30.07.2010
2	पुलिस निरीक्षक स्वर्ग्रीय श्री फूल मोहम्मद	निःशुल्क		20.04.2011
3	स्व. श्री दुर्गालाल कीर सुरक्षा कर्मी	निःशुल्क		13.10.2011
4	स्व. श्री निहाल सिंह का. नि.न. 185	निःशुल्क		29.12.2011
5	स्व.श्री विजेन्द्र सिंह का नि. चालक	निःशुल्क		20.06.2012